

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2017/379

दिनांक : 17/7/17

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड-दौसा के अधीन खानभाकरी योजना, दौसा में विभिन्न आय वर्ग के स्वतंत्र आवासों को मण्डल को 22वीं संचालक बैठक दिनांक 27.01.2016 के निर्णय बिन्दु संख्या 229.21 में लिए गए निर्णयानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किए जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् प्रदान की जाती है। निस्तारण किए जाने वाले 3 वर्गों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आयवर्ग	आवास संख्या	आवासों की संख्या
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	2/263, 2/326	02
2	अल्प आय वर्ग	2/133, 2/192	02
3	माध्यम आय वर्ग- I	2/20, 2/53, 2/54, 2/61, 2/71, 2/73, 2/75, 2/144, 2/217, 2/220, 2/222, 2/225 और 2/274	13
4	माध्यम आय वर्ग- II	2/02, 2/03, 2/04, 2/05, 2/06, 2/07, 2/08, 2/10, 2/11, 2/14, 2/78, 2/79, 2/80, 2/210, 2/211, 2/212, 2/213, 2/214, 2/215 और 2/216	20
5	उच्च आय वर्ग	1/137, 1/143, 1/146, 1/148, 1/156, और 1/159	06
		कुल आवास	43

उक्त आवासों को निम्न शर्तों के आधार पर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. आवासीय योजना में आवास/भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी वाचिकता पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/भूखण्ड आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लक्षित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणित भी किया जाये कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक याद विचाराधीन नहीं है। निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने जायत कोई आश्वासन/रापथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य संपदा प्रबन्धक

निरन्तर.....2

प्रतिलिपि निम्न क संयुक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवारान मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दौसा, राजस्थान आवासन मण्डल, दौसा।
7. मुख्य नगर निधीजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश को प्रतिमण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करें।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

अनुसूचित जाति